भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 29
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर फसलों को बेचना

***29. श्री कीर्ति आज़ादः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के विभिन्न भागों में किसानों को अपनी फसलों को लागत मूल्य से कम मूल्य पर बेचना पड़ रहा है जिससे उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या सभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के अंतर्गत पर्याप्त लाभ मिल रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो केवल एक सीमित संख्या में ही किसानों तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पहुंचने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इस योजना के अंतर्गत किसानों की आय को दोगुना करने के लिए फसल बीमा, विपणन सुविधाएं, भंडारण और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में कोई विशेष पहल कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर फसलों को बेचना' विषय के संबंध में लोक सभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 29 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): सरकार, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के मतों पर विचार करने के उपरांत, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तद्नुसार, सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की गई।

सरकार निर्धारित खरीद एजेंसियों के माध्यम से कृषि फसलों की खरीद करने की पेशकश करती है और किसानों के पास अपनी उपज को सरकारी एजेंसियों को या खुले बाजार में बेचने का विकल्प होता है, जो भी उनके लिए फायदेमंद हो।

देश के किसानों को एमएसपी वृद्धि से लाभ हुआ है, जो खरीद एवं किसानों को दी गई एमएसपी की राशि के आँकड़ों से स्पष्ट है। 2024-25 (फसल वर्ष) के दौरान की गई खरीद एवं किसानों को दी गई एमएसपी की राशि का विवरण निम्नानुसार है:

कुल खरीद (एलएमटी में)	**कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)**
1,223	3.47

(घ): किसानों के लाभ के लिए, सरकार ने कई पहलें की हैं, जिनमें प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस), मार्केटिंग स्कीम, एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) शामिल हैं। इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार हैः

(i) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस)-

सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं, खराब मौसम की वजह से फसल की हानि/क्षति से जूझ रहे किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और किसानों की आय में स्थिरता लाने के लिए खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और वेदर इंडेक्स पर आधारित रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (डब्ल्यूबीसीआईएस) शुरू की हैं। स्कीम के तहत

फसल-पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक के नुकसान के लिए पूरा जोखिम बीमा दिया जाता है। यह स्कीम, राज्यों और किसानों के लिए भी स्वैच्छिक है। वर्ष 2024-25 के दौरान स्कीम की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार हैः

(करोड़ रुपये में)

कुल बीमित किसान आवेदन (लाख)	बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	बीमित राशि	प्रीमियम में किसानों का हिस्सा	भुगतान किए गए दावे
1,514	622	2,80,629	3,335	12,256

(ii) एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ): एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, ब्याज में छूट और क्रेडिट गारंटी सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं में निवेश हेतु एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है। इस योजना के तहत 01 लाख करोड़ रुपये का फंड वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय 2025-26 तक संवितरित किया जाएगा और योजना के तहत सहायता वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2032-33 तक प्रदान की जाएगी।

योजना के आरंभ से लेकर दिनांक 25 नवंबर 2025 तक, देश भर में एआईएफ के तहत 1,39,837 परियोजनाओं के लिए 76,980 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। इन स्वीकृत परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र में 1,22,731 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है।

(iii) एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई), एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम) की उप-योजना: ग्रामीण गोदामों और स्टोरेज सुविधाओं के विकास में मदद करता है, जिससे किसानों की उपज को स्टोर करने और बेहतर कीमतों पर बेचने की क्षमता बढ़ती है।

एएमआई के तहत आरंभ से लेकर अक्टूबर 2025 तक, 982.94 लाख एमटी क्षमता वाले कुल 49,796 गोदामों को मंज़ूरी दी गई है और 4,832.70 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है। इसके अलावा, 25,009 एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं (स्टोरेज के अतिरिक्त) को मंज़ूरी दी गई है और 2,193.16 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

(iv) 10,000 एफपीओ का गठन एवं संवर्धन योजना: कम लागत के साथ उत्पादकता बढ़ाने तथा बेहतर मार्केटिंग और क्रेडिट लिंकेज प्रदान करने के लिए सरकार ने फरवरी, 2020 में 10,000 एफपीओ के गठन और उन्हें बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना शुरू की थी ताकि एफपीओ के रूप में, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को एक साथ लाकर लाभ उठाया जा सके। 10,000 एफपीओ के गठन का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है और सरकार अब इन एफपीओ की आर्थिक स्थिरता पर ध्यान दे रही है ताकि किसानों/सदस्यों की कुल आय बेहतर हो सके।

(v) ई-नाम एकीककरण: सरकार ने वर्चुअल ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) लॉन्च किया है और अप्रैल, 2016 में इसके शुभारंभ के बाद से, 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 1522 एपीएमसी बाजार इससे जुड़ चुके हैं। लगभग 1.80 करोड़ किसान और 4642 एफपीओ इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं ताकि पारदर्शी तरीके से सबसे बेहतर कीमत मिल सके।

(vi) परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)- वर्ष 2015-16 से पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर राज्यों में पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर) के ज़रिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोनों योजनाएं, जैविक खेती करने वाले किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग तक, एंड-टू-एंड सपोर्ट देने पर ज़ोर देती हैं। इन योजनाओं का मुख्य फोकस छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है ताकि आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। दोनों योजनाएं, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। पीकेवीवाई के तहत, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसमें से, किसानों को ऑन-फार्म/ऑफ-फार्म जैविक इनपुट हेतु डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से प्रति हेक्टेयर 15,000 रुपये की सहायता दी जाती है। एमओवीसीडीएनईआर के तहत, किसान उत्पादक संगठन के गठन, जैविक इनपुट के लिए किसानों को सहायता इत्यादि के लिए 3 वर्षों में 46,500 रुपये/हेक्टेयर की सहायता दी जाती है। इसमें से, किसानों को ऑफ-फार्म/ऑन-फार्म जैविक इनपुट के लिए 32500 रुपये/हेक्टेयर की सहायता दी जाती है, जिसमें किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से दिए जाने वाले 15,000 रुपये शामिल हैं।

*****